कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग
Phone/Fax :- 01363-244204 E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2443/10 (1ऽ) (7) दिनांक :-11 /7/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- **सिमली–शैलेश्वर मोटर मार्ग में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- **भारत सरकार का पत्र EDS दिनांक 13.05.2016।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Total period for which the forest land is proposed to be diverted is given as nil. This may be reviewed.	पार्ट–। के क्रम संख्या A-1 (x) में Total period of forest land 99 Year mention कर दिया गया है।
2	The Details of person making application and that of the one authorized to file application do not match.	पार्ट–। के क्रम संख्या A-3 (xvii) में नया Authorized Certificate अपलोड कर दिया गया है। **(संलग्नक–1 पेज 2)**
3	The Sum total of village wise area breakup is 1.34 ha while in other places the land to be diverted is mentioned as 1.44 ha. Also the total of component wise break up is 1.43 ha. This discrepancy may be looked into.	पार्ट–। के क्रम संख्या B-2.3 में Village wise area breakup 1.44 ha Mention कर दिया गया है। पार्ट–। के क्रम संख्या B-2.4 Component wise breakup में मार्ग निर्माण हेतु 1.34 ha Mention कर दिया गया है। तथा Muck disposal हेतु 0.10 ha भूमि हस्तान्तरित होनी है लेकिन Technical Error होने के कारण Muck disposal में 0.10 ha के स्थान पर 0.0999 ha दर्शाया गया है।
4	Soft copies of shapefile indicating map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total station may be provided.	पार्ट–। के Additional Information में अलग– अलग फाइल बनाकर अपलोड कर दी गयी है। तथा GPS or Total station map संलग्न कर आपको प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–2 पेज 3 से 6)**
5	In the FRA certificate of DM, names of 3 village have been mentioned, while Gram sabha proceedings of only one village has been annexed. Gram Sabha proceedings of all concerned villages may be sent.	पार्ट–। के क्रम संख्या K (a) में FRA संशोधित करते हुये सभी ग्रामों को दर्शाया गया है। जिसमें ग्राम कनोठ एवं मल्यागवाड़ के वर्तमान ग्राम प्रधान एक ही है। **(संलग्नक–3 पेज 7 से 14)**
6	Instead of, Copy of MoU/agreement executed between the Present owner and the User Agency in Part-I, some other document is attached.	पार्ट–। के क्रम संख्या L (iv) (g) में Copy of MoU/agreement executed between the Present owner attached कर दिया गया है। **(संलग्नक–4 पेज 15)**
7	Similarly, instead of non-encumbrance certificate for the forest land in part-I, site suitability certificate has been attached.	पार्ट–। के क्रम संख्या L-(iv)(h) में encumbrance certificate for the forest land, site suitability certificate attached कर दिया गया है। **(संलग्नक–5 पेज 16 से 17)**
8	The CA scheme may be prepared for a minimum of 2.88 ha area (double of the forest land being diverted).	कर पार्ट–। के क्रम संख्या L-(iv)(b) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण को संशोधित कर area 2.88 ha mention कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- प्रपत्र।

11/07/16

(जे॰पी॰ रतूड़ी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰नि॰वि॰
कर्णप्रयाग

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph.No./Fax No – 01372-252173 e-mail – sepwdgope@rediffmail.com

पत्रांक : 4704 /2स०नि०/10 – 07 / 2015, दिनाँक: 20–10–2015

Authority Certificate

Mr. Jagdamba Prasad Raturi, Executive Engineer, Provincial Division, PWD Karanprayag is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Roads of the Provincial Division, PWD, Karanprayag on the Government of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the Superintending Engineer, 7th Circle, PWD, Gopeshwar (Chamoli).

20/10/15

Superintending Engineer
7th Circle, PWD,
Gopeshwar (Chamoli)

डिजिटल मैप — जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (लम्बाई— 03.450 किमी0)

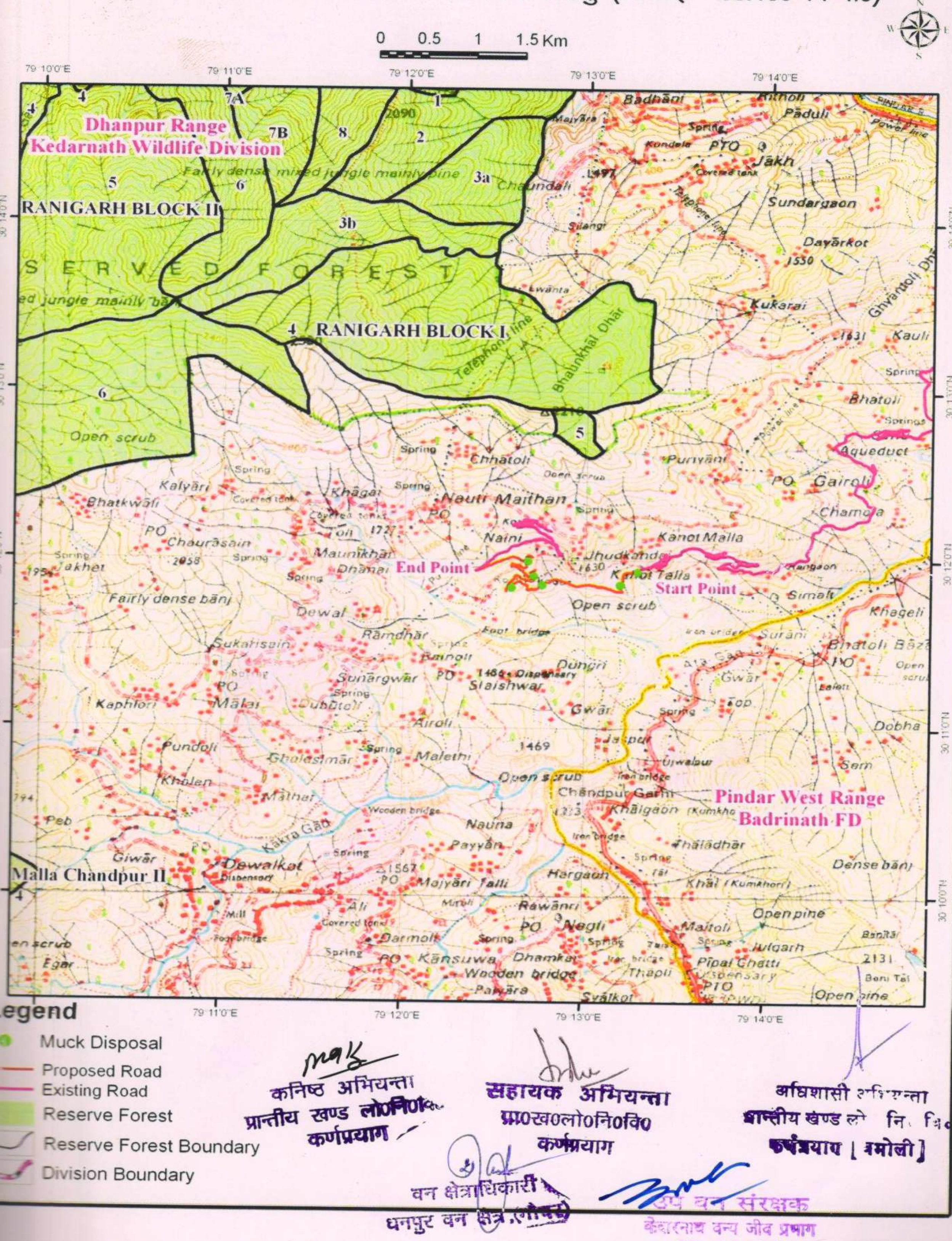

Legend

- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Division Boundary

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग [चमोली]

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गौचर)

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु (लम्बाई– 03.450 किमी0)

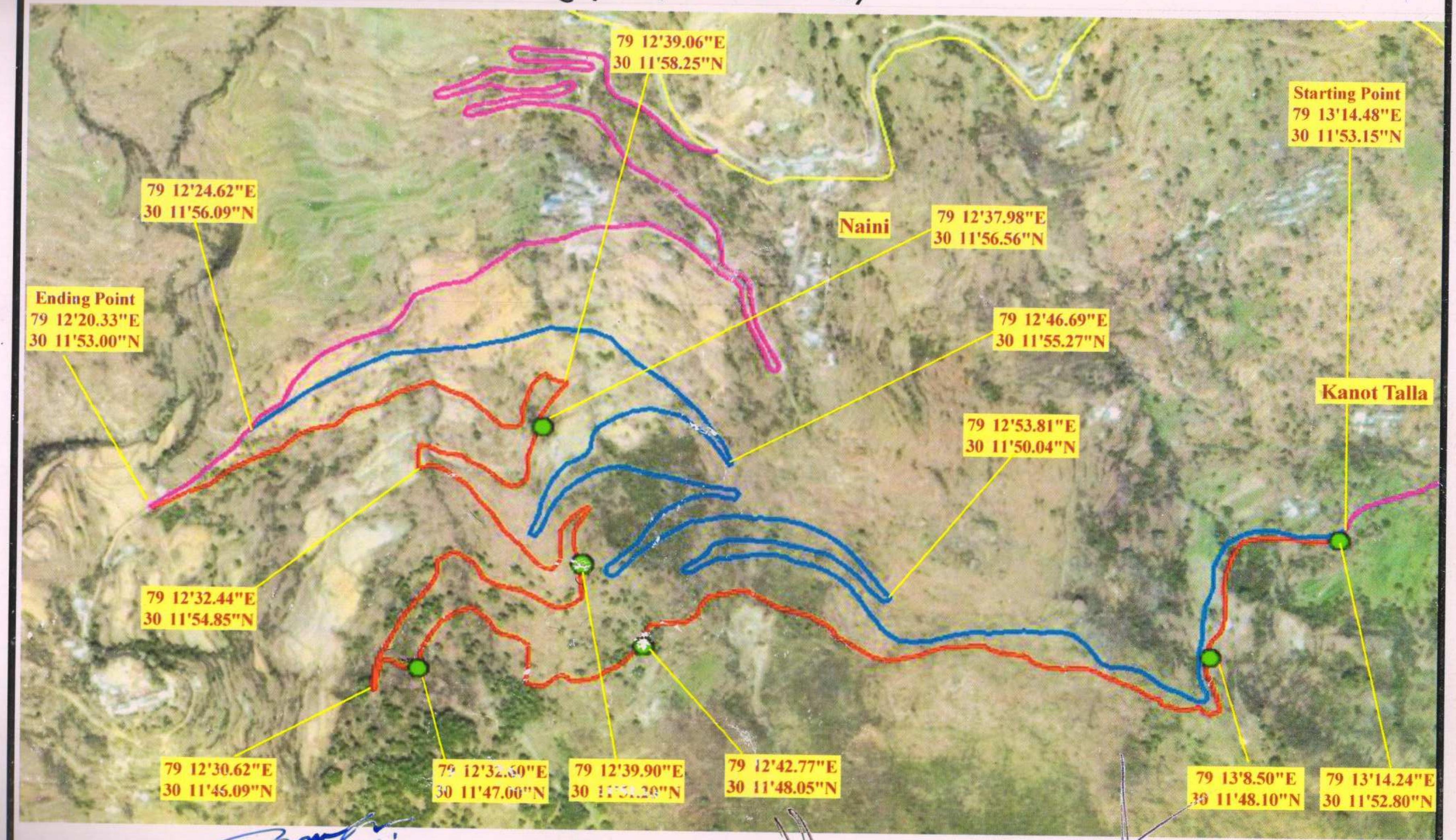

Legend
- Dumping Zone
- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road

उप वन संरक्षक
जीव प्रभाग
(चमोली)

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग [चमोली]

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल

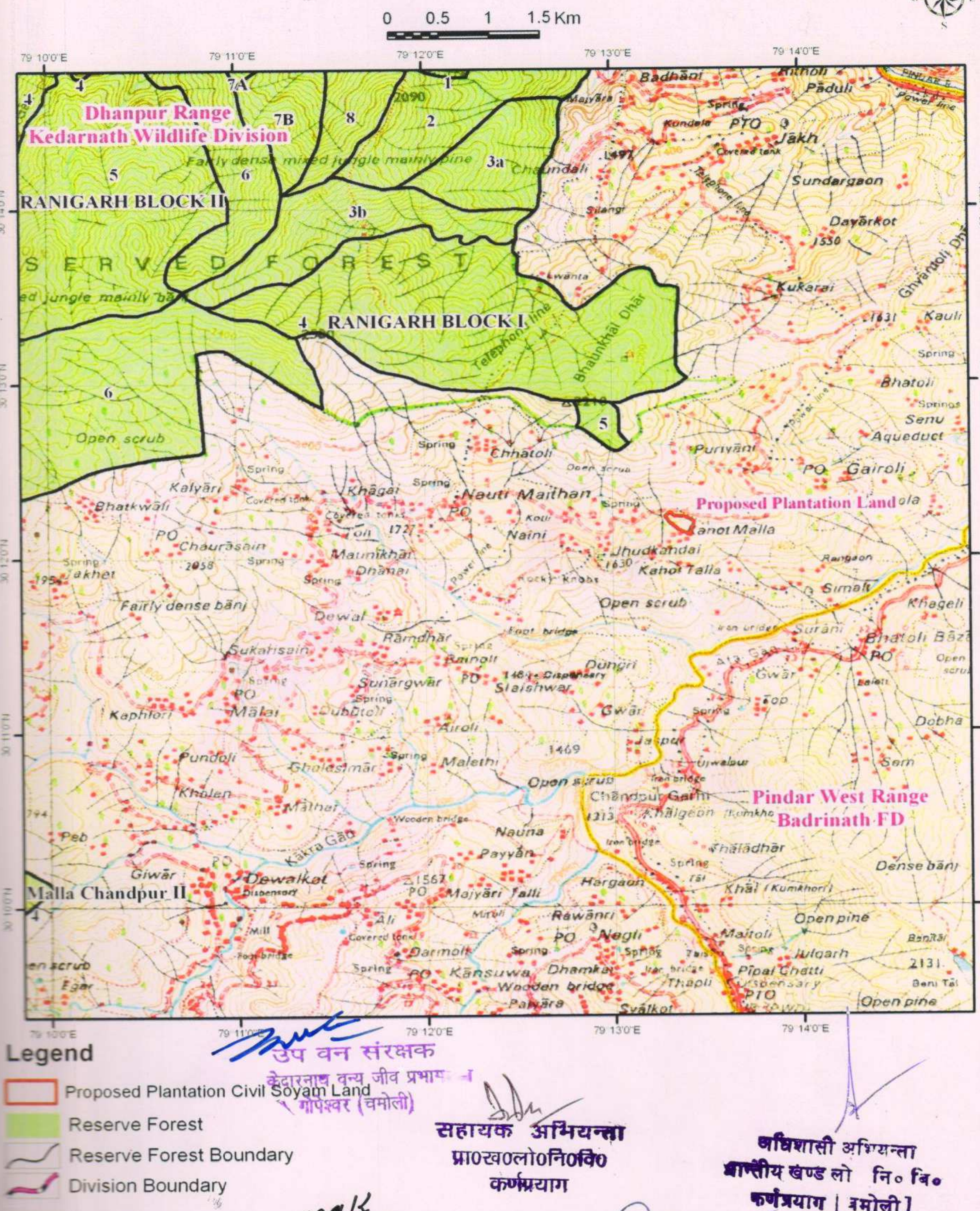

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो नि० वि०
कर्णप्रयाग [चमोली]

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गोपेश्वर)

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल

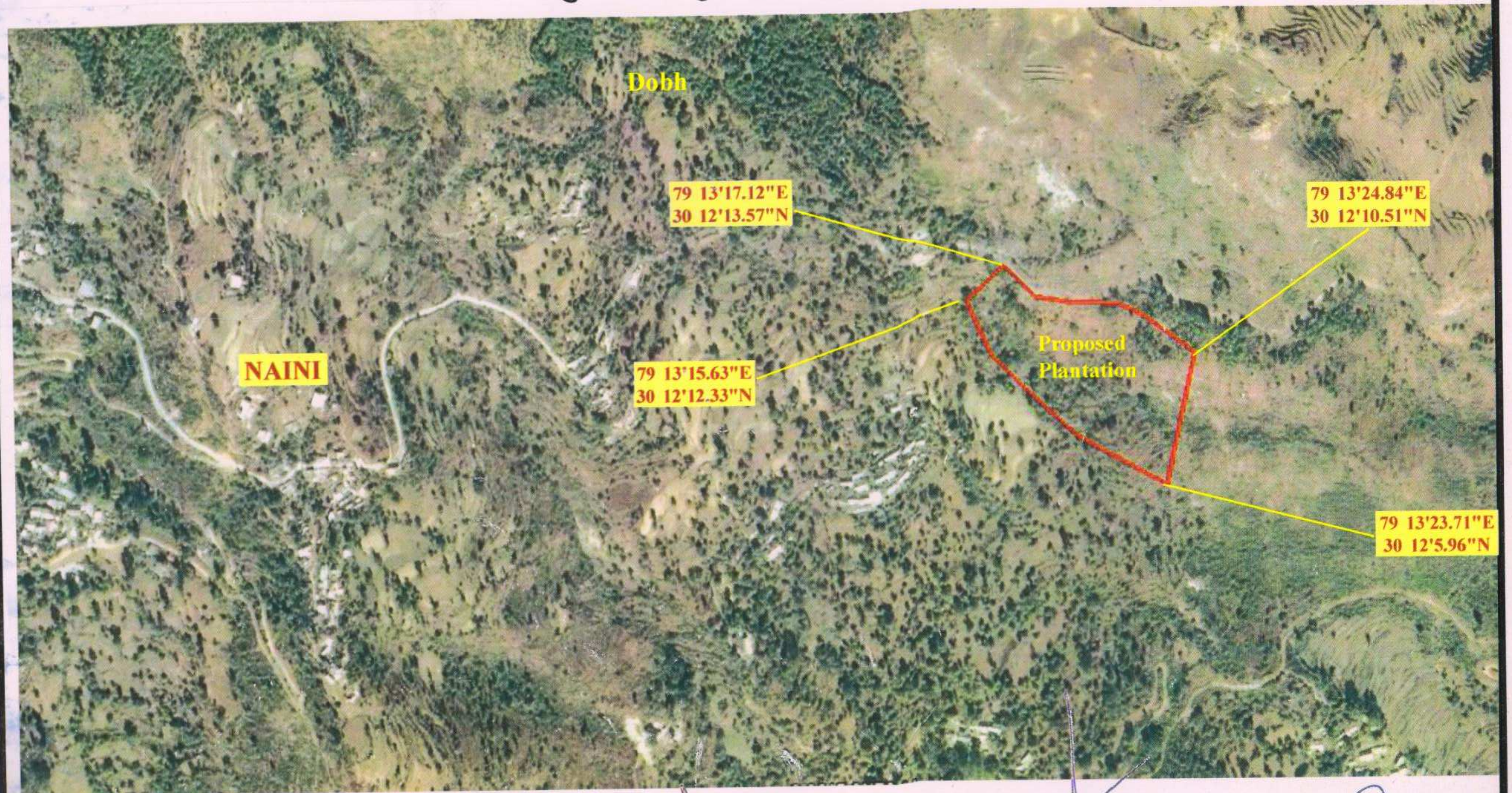

Legend
Proposed Plantation

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग [चमोली]

वन क्षेत्राधिकारी
धनपुर वन क्षेत्र (गौचर)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : / /2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 1.440 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanprayag Constituency of District Chamoli** falls within jurisdiction of Kanot, Malla Gwad and Naini Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.440 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,

(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Ashok Kumar (IAS)
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

Annexure-I

Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on .19-06-2015.. At 1.4 P.M. at Chamoli in which the application claiming rights in village Kanot, Malla Gwad and Naini of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.440 Hectares for the **New Construction of Simli-Sheleshwar Motor Road in Karanprayag Constituency of District Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Ashok Kumar (IAS)
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः–

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अर्न्तगत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग निर्माण (x हे. आरक्षित वन भूमि 0.600 हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.840 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.440 हे. वन भूमि) का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अर्न्तगत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 12/3/015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियन 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक ....उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार सनिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1:– श्री .... उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग ....( ) अध्यक्ष

2:– श्री शिवानन्द पुमन उप प्रभागीय बनाधिकारी गोपेश्वर .... सदस्य

3:– श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी........ सदस्य / सचिव

~~4:– श्री .... बी.डी.सी. क्षेत्र .... सदस्य~~

(4) श्री मालदत्त पुरोहित वन अधिकार समीति सदस्य

(5) श्रीमती सुशीला रावत वन अधिकार समीति सदस्य

(6) श्री महिपाल सिंह नेगी वन अधिकार समीति सदस्य

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग 12/3/015

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग निर्माण .... परियोजना हेतु 1.440 ...... हे. वन भूमि

लो॰नि॰वि॰ .... प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी ......गोपेश्वर...... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड......कर्णप्रयाग......परिक्षेत्र के अर्न्तगत सिमली-ग्वालदम मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.440 ......हे. वन भूमि ......लो॰नि॰वि॰......प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील......कर्णप्रयाग
जनपद ......चमोली......

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी ......चमोली......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अध्यक्ष

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कर्णप्रयाग
जनपद चमोली

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :–

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नैणी
तहसील कर्णप्रयाग जिला चमोली (गढ़वाल)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली अन्तर्गत सिमली शैलेस्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.440 हे0 आरक्षितवनभूमि, 0.600 हे0 सिविल सोयमभूमि, 0.840 हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल 1.440 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय मे ग्राम पंचायत नैणी द्वारा दिनांक 28-2-2015 को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं।उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पश्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्यनहीं किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नैणी के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि सिमली शैलेस्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सुवर्णा प्रसाद
ह0/–
ग्रामसचिव
सुवर्णा कैलाखुरा

प्रधान ग्राम पंचायत नैणी
ह0 गीता देवी
दि0 28/2/15
वि0ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)
ह0/–
ग्रामप्रधान

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र मे दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 28-2-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत नैणी

कमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिश्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	टीका प्रसाद गैरोला	[illegible] 28/2/15
2.	विजय कुमार कैलखुरा	विजय प्रसाद कैलखुरा
3–	गिरजा प्रसाद	[illegible]
4–	सुनील कुमार कैलखुरा	[illegible]
5.	अनूप मैठाणी	[illegible]
6–	कृष्णानन्द गैरोला	कृष्णानन्द गैरोला
7–	राम चन्द्र नौगाल	राम चन्द्र
8–	सुधाकर मैठाणी	सुधाकर मैठाणी
9–	विपुल कुमार कैलखुरा	VIPUL
10–	शरणागत कैलखुरा	[illegible]
11–	प्रकाश चन्द्र कैलखुरा	प्रकाश चन्द्र
12–	सत्य प्रसाद कैलखुरा	[illegible]
13–	अनिल कुमार कैलखुरा	Anil
14.	पवन कुमार कैलखुरा	[illegible]
15–	अशोक नौगाल	सत्य [illegible]
16	सत्य प्रसाद नौगाल	[illegible]
17–	गोविन्द नौगाल	गोविन्द प्रसाद
18–	महानन्द गैरोला	महेशानन्द गैरोला
19.	लक्ष्मण गैरोला	लक्ष्मण [illegible]
20–	रिखुली देवी	रिखुली [illegible]
21–	विश्वेश्वरी देवी	[illegible]
22–	शिवचरण कैलखुरा	Kailkhura 28-2-2015
23–	कपिल प्रसाद	

ह0 / — गीता देवी

ग्रामप्रधान दि0 28/2/15

(मोहर: ग्राम प्रधान ... विकास खण्ड कर्णप्रयाग (चमोली))

<u>प्रपत्र– 23.1</u>

परियोजना का नामः–

<u>वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम........कनोठ........(मैल्पा ग्वाड़)

तहसील....कर्णप्रयाग.......जिला.......चमोली.......

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद....चमोली..... अन्तर्गत सिमली सैनेरवाल मो० मार्ग का नवनिर्माण.............................परियोजना के निर्माण हेतु.............. हे0 आरक्षितवनभूमि..0.60..... हे0 सिविल सोयमभूमि..0.840.. हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल..1.440.. हे0 वनभूमि का...लो० नि० वि०.......... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत......कनोठ.......द्वारा दिनांक....22/6/2016.......को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम..कनोठ........ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि..सिमली-सैनेरवाल मो० मा०.. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/–
ग्रामसचिव

ह0/–
ग्रामसचिव
22/6/2016

नोट:– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र– 23.1

दिनांक 22/6/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत कनोठ (मेल्धागवाड़)

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	भगत लाल	भगत लाल
2	गुड्डी देवी	गड्डी देवी
3	अमिता देवी	आनिता देवी
4	गणपति लाल	गणपति लाल
5	सुख देव	सुखदेव

ह0/–
ग्रामप्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
हस्ताक्षर कुसुमादेवी
दिनांक 22/6/2016

परियोजना का नामः— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली शैलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

क0सं0	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल (हे0 में)
1	कनोठ	625	2.88 हे0
	सम्पूर्ण योगः—		2.88 हे0

अमीन लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

सहायक अभियन्ता प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

15/06/16

अधिशासी अभियन्ता प्रा0 ख0 लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

R.S.I. Bonolae 16-6-016

16.6.16

जिला अधिकारी चमोली

उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग 16/6/16

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत सिमली शेलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.880 है० कर्णप्रयाग सिविल सोयम सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारापेण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
कर्णप्रयाग वन रेंज (गोपेश्वर)

ह0/–
उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर (चमोली)

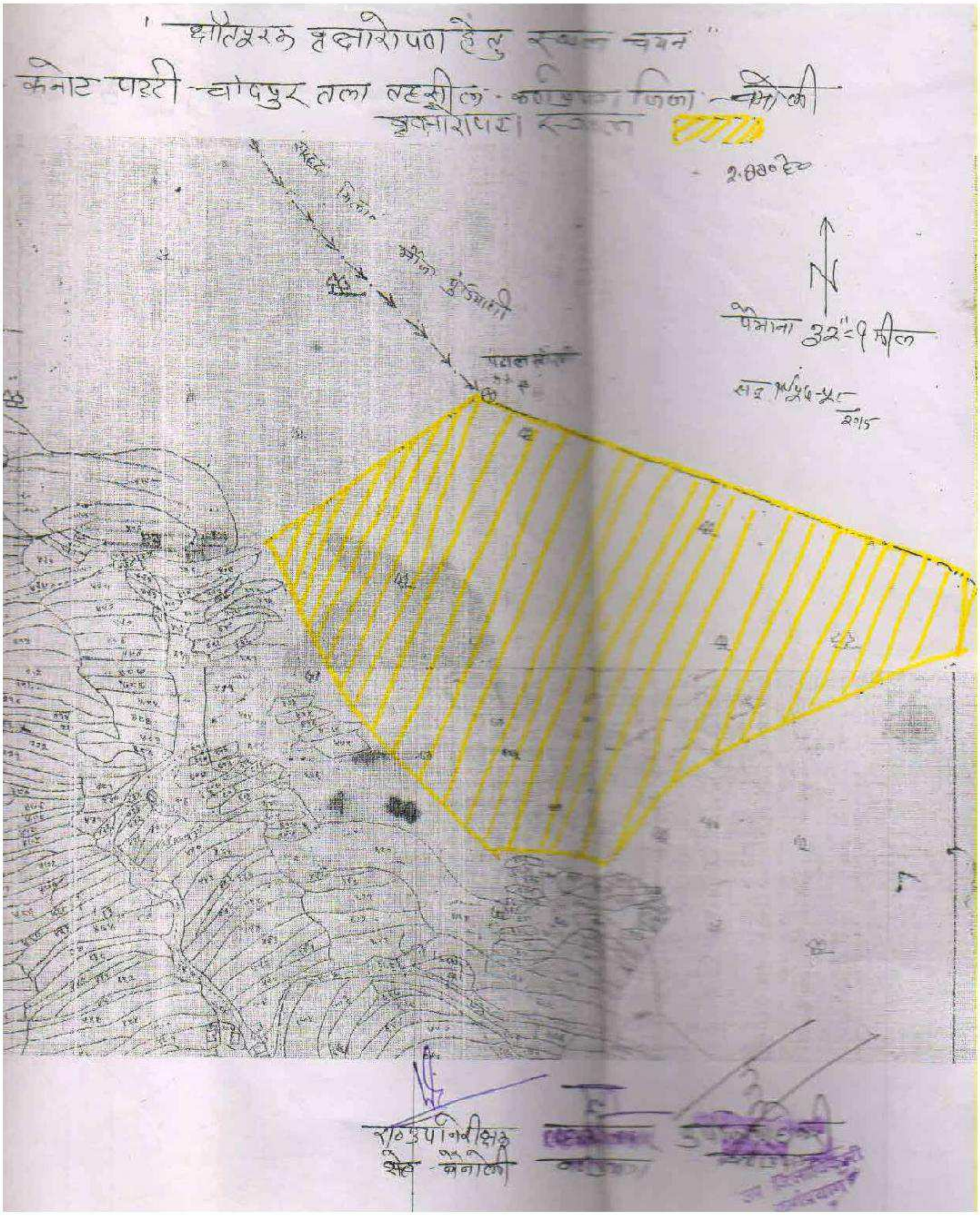
"क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन"
2.000 है०
पैमाना 32"=1 मील